

# आदेश - पत्रक

अनुसूचि 14-फारम नं० 562

(देश अधिलेख, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक नं० ..... से 389  
 जिला ..... दा० खा० वा० सं० 5/13-14

आदेश की क्र० सं० और ता०	आदेश और पर्याप्तकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

श्री श्रीपेन्द्र प्रसाद सिंह

पत्त नं० श्री तपस्वर सिंह ग्राम राय बगर दिथरा  
 थाना क६ जिला प० खा०

पं० घाला नं० ..... दिनांक .....

यह आधार पर निम्न प्रकार के आदेश पर साखिल खरिज हेतु आवेदन पत्र साखिल किया है।

नाम का नाम	लौजी नं०	घाला नं०	खसरा	एराजी
<u>प० खा०</u> <u>14</u>	—	<u>29</u>	<u>1486</u>	<u>2400</u> <u>एराजी</u>

मूल आवेदन पत्र हेतु कार्यवाही को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन हेतु दे दे। महल पर सूचना जारी कर आपत्ति को मांग कर। अधिलेख दिनांक 13/05/12 को उपस्थित करें।

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

महल पर नामवली नोटिस प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। कार्यवाही का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उन लोगों ने आवेदन के नाम साखिल खरिज करने की अनुमति किये हैं। फलतः उनके अनुमति के आधार पर साखिल खरिज किया जाता है। शर्त पत्र जारी है।

दिये गए MS सिद्धा

अंचल अधिकारी